दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.03/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
19.4.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी परबाराम पुत्र मोडाराम जी, जाति– देवासी, निवासी– रेबारी वास, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिवम मसाला उद्योग, मैन रोड, बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला–सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.2.2023 को फर्म शिवम मसाला उद्योग, मैन रोड़, बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी परबाराम से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2033 निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्या:555F/FSSA/ 2023 दिनांक 11.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 05.4.2024 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी को दिनांक 05.4.2024 को ही सुना गया, जिसने अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है एवं भविष्य में ऐसी खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 23.2.2023 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शिवम मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। फर्म शिवम मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड़, सिरोडी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत प्रतिवादी परबाराम पुत्र मोडाराम जी, जाति– देवासी, निवासी– रेबारी वास, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म शिवम मसाला उद्योग, बस स्टेण्ड, सिरोडी के निरीक्षण के दौरान शिवम मसाला उद्योग के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर शिवम मसाला उद्योग में आम जन के विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के 20 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक ......लगातार	

प्राधि. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:35 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज F.S.S.Act Case No.03/2024	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2033 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./372/Act/2023/398 दिनांक 09.3.2023 में असुरक्षित खाद्य (Unsafe food) पाया गया है। तत्पश्चात् प्रतिवादी द्वारा रेफरल लेब से नमूनें की पुनः जांच करने हेतु आवेदन करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2033 को पुनः जांच करने हेतु निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया, जो निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर के विश्लेषण प्रमाण पत्र संख्याः555F/FSSA/2023 दिनांक 11.9.2023 में अमानक (sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी परबाराम ने खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी परबाराम पुत्र मोडाराम जी, जाति– देवासी, निवासी– रेबारी वास, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिवम मसाला उद्योग, मैन रोड, बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला–सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विरुद्ध प्रतिवादी परबाराम स्वीकार किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (पारेवा ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी परबाराम पुत्र मोडाराम जी, जाति– देवासी, निवासी– रेबारी वास, कृष्णगंज, तहसील व जिला– सिरोही खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म शिवम मसाला उद्योग, मैन रोड, बस स्टेण्ड़, सिरोडी, तहसील रेवदर, जिला–सिरोही पर राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी परबाराम को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.5..2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2024.05.17 11:54:35 IST
Reason: SelfAttested